का॰ ज्ञा॰ सं॰ I/14013/2/96-रा॰भा॰ (नीति-1), दिनांक 6.5.1996

विषय:— सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाने वाले ''होर्डिंगों'' में भाषाओं का प्रयोग

केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं पर लागू होती है।

2. सरकार की राजभाषा नीति में नामपट्ट/सूचनापट्ट इत्यादि पर स्पष्ट आदेश उपलब्ध हैं परन्तु होर्डिंग के विषय में ऐसे कोई भी आदेश अभी तक जारी नहीं हो पाए हैं। भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र में अनेकानेक उपक्रम/कंपनियां/संगठन, आर्थिक एवं वाणिज्यिक पद्धति में अपने उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं और मार्किट में अपनी सेवाओं के विस्तारण के लिए अनुरूप प्रसार माध्यमों के साथ-साथ आवश्यकतानुसार ''होर्डिंग'' बनवाते और लगवाते हैं। ये अधिकांशत: केवल अंग्रेजी भाषा में बनवाये जा रहे हैं। यह केन्द्र की राजभाषा नीति के अनुरूप नहीं है। इस स्थिति पर विचार करते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि ''होर्डिंग'' भी राजभाषा नीति के अनुसार द्विभाषिक या त्रिभाषिक रूप में, जहां जैसी स्थिति हो, बनवा कर लगवाये जाएं। जहां हर ''होर्डिंग'' को त्रिभाषी बनवाना संभव न हो तो यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी क्षेत्र/नगर/उप-नगर इत्यादि में लगाये जाने वाले ''होर्डिंग'' दोनों या तीनों भाषाओं में बनवा कर लगवाये जाएं और उनकी संख्या समान हो। यदि आवश्यकता न हो तो अंग्रेजी भाषा का होर्डिंग में प्रयोग न किया जाए, परन्तु संबंधित राज्य की राजभाषा और देवनागरी हिन्दी में अनिवार्यत: होर्डिंग बनवा कर लगवाये जाएं।

3. केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे उपयुक्त आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करवाने के लिए इनको केन्द्र के स्वामित्व में सभी कंपनियों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, वित्तीय संस्थाओं आदि के ध्यान में ला दें। इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों की प्रति इस विभाग को सूचनार्थ भेज दें।